राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2394/2025

मनोज कुमार मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, स्थानीय शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), उदयपुर संभाग, उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.04.2025
आदेश की दिनांक : 07.04.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चडावदा, गिर्वा, उदयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा व्याख्याता के पद के लिये रिव्यू डीपीसी वर्ष 2021–22, 2022–23 के विरूद्ध की गई, जिसके क्रम में अपीलार्थी को व्याख्याता के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया। जबकि वरिष्ठता सूची वर्ष 2015–16 में अपीलार्थी का नाम विकलांग कोटे से जोडा गया था। आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा अपीलार्थी का नाम वर्ष 2015–16 की अंतिम वरिष्ठता सूची में नाम जोडा गया, परंतु अपीलार्थी को उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की गई, जो नियम विरूद्ध है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी का नाम वर्ष 2015–16 की वरिष्ठता सूची में

जोडा जावे और उसे व्याख्याता अंग्रेजी के पद पर रिक्ति वर्ष 2021–22 अथवा 2022–23 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चडावदा, गिर्वा, उदयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2021–22 अथवा 2022–23 के विरूद्ध व्याख्याता अंग्रेजी के पद पर पदोन्नत नहीं किये जाने का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में हम वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष